झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद्
विधेयक, 2016

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् विधेयक, 2016

(सभा द्वारा यथापारित)

प्रस्तावना

राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योजना एवं कार्यान्वयन, अनुश्रवण (प्रबोधन) तथा मूल्यांकन, गुणवत्ता सुनिश्चित करने, परामर्श और निधिकरण हेतु उपयुक्त प्रावधान के लिए अधिनियम।

चूँकि यह समयोचित है कि सरकार, विश्वविद्यालयों, अकादमियों और विश्वविद्यालयों के बीच सामूहिक सहक्रियात्मक संबंध स्थापित करने हेतु सरकार और विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों एवं उच्च स्तरीय नियामक संस्थाओं के मध्य परिचालनात्मक अंतराल के साथ (i) सरकार के नीति–निर्माण एवं सापेक्ष योजनाओं में अकादमिक उत्कृष्टता और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने, (ii) राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के मध्य स्वायत्तता, जवाबदेही और समन्वयन को सुनिश्चित करने, और (iii) राज्य की सामाजिक–आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के मैत्रीपूर्ण विकास को निर्देशित करने के उद्देश्य से राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना की जाय।भारतीय गणराज्य के 67वें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधानसभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** :–

   i. यह अधिनियम झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।

   ii. इसका विस्तार क्षेत्र संपूर्ण झारखण्ड राज्य होगा।

   iii. यह राज्य के शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. **परिभाषा** – अगर इस अधिनियम के संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित/आवश्यक हो :–

   i. 'संबद्ध संस्थान' से आशय है वैसे संस्थान जो अपने शासी निकाय के द्वारा संचालित व नियंत्रित हों।

   ii. 'ए आई एस एच ई' से आशय है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन (उच्च शिक्षा से संबद्ध अखिल भारतीय सर्वेक्षण) जो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर की गई है।

   iii. 'शीर्ष नियामक संस्थान' का अर्थ है नियामक संस्था जिसे संसद के अधिनियम द्वारा विशिष्ट प्रकृति की संस्थाओं के अभिशासन हेतु गठित किया गया हो।

iv. 'अध्यक्ष' का आशय वह व्यक्ति है जिसे राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के अधिनियम के आधार पर नियुक्त किया गया हो।

v. 'परिषद्' से आशय है – राज्य की विधायिका द्वारा गठित झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद्।

vi. 'कार्यपालक निदेशक' यानी परिषद् के सदस्य सचिव, जिनकी नियुक्ति राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम द्वारा सुनिश्चित प्रावधानों के तहत हो।

vii. 'सरकार' का आशय है झारखण्ड सरकार।

viii. 'उच्च शिक्षा' का अर्थ है – व्यावसायिक, तकनीकी या अन्य तरीके से डिग्री या डिप्लोमा के रूप में विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन में प्राप्त शिक्षा।

ix. 'संस्थान' यानी ऐसे संस्थान, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम/प्रस्तावित किये गये हों।

x. 'सदस्य' से आशय राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के सदस्य जिनमें परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी सम्मिलित हैं।

xi. एम०आई०एस० (प्रबंधन सूचना तंत्र) से आशय है कार्यक्षमता एवं प्रभावी रणनीतिक निर्णय लेने हेतु प्रबंधन का सूचना तंत्र।

xii. 'एन ए ए सी' से आशय है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्', जिसकी स्थापना विशिष्ट उच्च शिक्षण संस्थानों की 'गुणवत्ता स्थिति' के श्रेणी–निर्धारण के लिए की गयी है ।

xiii. 'निजी विश्वविद्यालय' से आशय है – राज्य के वैसे विश्वविद्यालय, जिनकी स्थापना "झारखण्ड राज्य के निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमीकरण के लिए आदर्श मार्गदर्शन" के अनुरूप हुई हो।

xiv. 'नियमनों' का अर्थ है वैसे नियमन जो राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा बनाये गये हों।

xv. 'नियम' का अर्थ है वैसे नियम जो राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा निर्मित हों।

xvi. 'राज्य विश्वविद्यालयों' से आशय है – राज्य सरकार द्वारा संचालित, प्रबंधित और नियंत्रित विश्वविद्यालय।

xvii. 'परिनियम', 'अध्यादेश', 'नियमन' से आशय है विश्वविद्यालय की वैसी परिनियमों, अध्यादेशों और नियमनों से जो किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध अधिनियम के अनुरूप जारी किये गये हों।

xviii. तकनीकी विश्वविद्यालय का अर्थ वैसे विश्वविद्यालय से है, जिनकी स्थापना तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचार, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के परामर्शी, उद्यमशीलता, सतत् शिक्षा कार्यक्रमों, स्वायत्त महाविद्यालयों/संस्थानों और सम्बद्ध अंगीभूत एवं निजी महाविद्यालयों/संस्थानों के माध्यम से समाज में मूल्य निर्माण एवं सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से की गई हो।

xix. 'उपाध्यक्ष' यानी राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम के अनुसार नियुक्त उपाध्यक्ष।

3. **परिषद् का संविधान :**

i. सरकार अधिसूचना के द्वारा, उस तिथि के प्रभाव से जो इसमें उल्लिखित हो, परिषद् संस्थापित करेगी, जिसे झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् कहा जाएगा।

ii. परिषद् एक ऐसी सम्मिलित निकाय संस्था होगी जो सतत् पद–प्राप्ति अनुक्रम और सामान्य प्रतिज्ञा के तहत तथा कथित एक नाम के साथ संचालित होगी जिसे वाद चलाने का अधिकार होगा और जिस पर वाद दायर किया जा सकेगा।

iii. प्रावधानों के अनुरूप परिषद् को चल और अचल सम्पत्ति ग्रहण करने और उस पर अधिपत्य रखने का अधिकार होगा और इस प्रावधान के अंतर्गत निर्मित कानून के अनुरूप इसकी सम्पत्ति को हस्तांतरित करने या ठेके पर देने तथा ऐसा कोई भी कार्य करने का अधिकार होगा जो इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक हो।

iv. परिषद् का मुख्यालय राँची में अवस्थित होगा।

4. **परिषद् के उत्तरदायित्व और कार्य :**

i. परिषद् के निम्नलिखित उत्तरदायित्व एवं कार्य होंगे :–

(a) राज्य की सरकार, सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को सुझाव/परामर्श देना ;

(b) राज्य के अंतर्गत उच्च शिक्षा में सरकार, सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों एवं शीर्ष नियामक अभिकरणों की भूमिकाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना ;

(c) अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता को अक्षुण्ण रखते हुए उन्हें उच्च शिक्षा की सामान्य सुविधाएँ मुहैया कराना ;

ii. उपर्युक्त दायित्वों और कृत्यों के प्रोत्साहन के लिए परिषद् को निम्नलिखित उत्तरदायित्व लेने होंगे :–

(a) सरकार के सुझाव या विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों के अनुरोध पर स्वतः संज्ञान लेकर राज्य में उच्च शिक्षा के विकास हेतु 'राज्य उच्च शिक्षा योजना' (SHEP) प्रतिपादित एवं प्रस्तुत करना;

(b) राज्यकीय संस्थानों तथा संबद्ध संस्थानों को उनकी योजनाओं के प्रतिपादन की प्रस्तुति एवं अमल के लिए यथेष्ट सहायता उपलब्ध कराना;

(c) राज्य उच्च शिक्षा योजना (SHEP) के अमल की प्रक्रिया का अनुश्रवण ;

(d) नियतकालिक सांख्यिकी का राज्य एवं संस्थागत स्तर पर एकत्रीकरण एवं उनका अनुरक्षण ;

(e) प्रबंधन सूचना तंत्र (MIS) का सृजन एवं अनुरक्षण ;

(f) राष्ट्रीय स्तर के उच्च शिक्षा अभिकरणों (एजेंसियों) द्वारा विकसित मानदण्डों के आधार पर संस्थाओं का मूल्यांकन करना ;

(g) परिवर्तित हो रहे सामाजिक परिदृश्य एवं अकादमिक आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में सुधार हेतु सुझाव देना एवं उनकी गुणवत्ता को बरकरार रखना ;

(h) परीक्षाओं की गुणवत्ता का सुनिश्चयन और परीक्षाओं में सुधार हेतु सुझाव देना ;

(i) शोध और शिक्षा प्राप्ति (अधिगम प्रक्रिया) के बीच सामंजस्य स्थापित करने हेतु आवश्यक कदम उठाना ;

(j) राज्य के संस्थानों की स्वायत्तता को संरक्षित करना और राज्य के विश्वविद्यालयों के परिनियमों, अध्यादेशों और नियमनों का समय–समय पर पुनरीक्षण तथा शिक्षा में सामाजिक न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं शिक्षा में अकादमिक उत्कृष्टता के कार्यान्वयन हेतु समुचित सुधार के लिए सुझाव एवं विश्वविद्यालयों तथा अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को परिनियमों, अध्यादेशों एवं नियमनों के निर्माण में परामर्श देना ;

(k) उच्च शिक्षा के नये संस्थानों की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान करना ;

(l) राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् से विमर्श कर प्रत्यायन हेतु सुधार के उपाय सुझाना ;

(m) उच्च शिक्षा में रणनीतिक निवेश हेतु राज्य सरकार को सलाह ;

(n) राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों और देश के भीतर एवं बाहर के संस्थानों के बीच अकादमिक प्रकृति से संबद्ध कार्यों हेतु मार्गदर्शिका विकसित करना ;

(o) इस अधिनियम के उद्देश्य के अनुरूप निधि का निर्माण एवं उपयोगिता हेतु प्रस्ताव तैयार करना ;

(p) सरकार अथवा सरकार द्वारा अधिकृत किसी अभिकरण के द्वारा प्रदत्त अनुदान की विमुक्ति के लिए सामान्य नियमावली का विकास तथा राज्य उच्च शिक्षा योजना ;भ्म्च्द्ध के आधार पर विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को निधि आवंटित करना ;

(q) उद्दिष्ट निधि का राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को ससमय निधि अंतरण हेतु प्रणाली विकसित करना ;

(r) उच्च शिक्षा में नीति–निर्धारण और उन्हें समुचित सुसाध्य बनाने हेतु विशेषज्ञों तथा स्टेकहोल्डर के व्यापक संभावित परामर्श प्राप्त करने के लिए विचार–विमर्श, कार्यशाला एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना ;

(s) अकादमी, उद्योग, कृषि एवं विज्ञान–क्षेत्र के बीच पारस्परिक तालमेल हेतु मंच उपलब्ध कराना ;

(t) केन्द्र तथा राज्य सरकार एवं भारत के केन्द्र शासित प्रदेशों के राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष नियामक संस्थाओं के द्वारा प्रायोजित और उद्यमित विभिन्न कार्यक्रमों का समन्वयन करना।

5. <u>परिषद् का गठन :</u>

परिषद् निम्नलिखित सदस्यों के योग से बनेगा, यथा –

i अध्यक्ष

ii उपाध्यक्ष

iii राज्य परियोजना निदेशक (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान), जो परिषद् के कार्यकारी निदेशक (सदस्य सचिव) होंगे।

iv प्रधान सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

v कुलाधिपति द्वारा पाँच वैसे सदस्य मनोनीत किये जाएंगे जिनकी विद्वता अनुसरणीय हो, इनमें कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नागरिक समाज, उद्योग तथा व्यावसायिक क्षेत्र के एक–एक सदस्य होंगे।

vi सरकार द्वारा पाँच वैसे सदस्य मनोनीत किये जाएंगे जिनकी विद्वता अनुसरणीय हो, इनमें कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नागरिक समाज, उद्योग, व्यावसायिक क्षेत्र के एक–एक सदस्य होंगे।

vii राज्य विश्वविद्यालयों के तीन कुलपति, कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए चक्रानुक्रमानुसार मनोनीत किये जाएंगे।

viii राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालय के एक कुलपति।

ix राज्य में स्थापित तकनीकी विश्वविद्यालय के एक कुलपति।

x स्वायत्तशासी महाविद्यालयों के दो प्राचार्य, कुलाधिपति द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रानुक्रमानुसार मनोनीत होंगे।

xi अनुसरणयोग्य विद्वतापूर्ण ख्याति के तीन सदस्य परिषद् द्वारा सहयोजित किये जाएंगे।

xii भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक प्रतिनिधि का मनोनयन किया जाएगा।

6. <u>अध्यक्ष</u>

i. अध्यक्ष अधिमानतः प्रभावी नेतृत्वकारी गुणों से युक्त श्रेष्ठ अकादमिक या बौद्धिक ख्याति के होंगे।

ii. राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा गठित तीन सदस्यीय तलाश–सह–चयन समिति द्वारा प्राप्त अनुशंसा व चयन के आधार पर मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता से बनी समिति अध्यक्ष का चयन करेगी। परिषद् प्रामाणिक अकादमिक/बौद्धिक ख्याति के दो सदस्यों को मनोनीत करेगी जबकि सरकार एक व्यक्ति का तलाश–सह–चयन समिति में मनोनयन करेगी। सरकार द्वारा नामजद प्रतिनिधि समिति की अध्यक्षता करेगा।

iii. अध्यक्ष सरकार द्वारा नियुक्त परिषद् के पूर्णकालिक पदाधिकारी होंगे।

iv. अध्यक्ष का कार्यकाल विस्तार–रहित पाँच साल के लिए होगा अथवा वे 70 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लें, इनमें से जो भी पहले हो।

v. अध्यक्ष को उपस्थित सदस्यों के दो–तिहाई के स्पष्ट बहुमत के अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मतदान से तथा तीन चौथाई सदस्यों के कोरम के साथ पदमुक्त किया जा सकेगा।

vi. अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वे परिषद् के लिए किसी उपयुक्त मामले पर प्रतिवेदन की मांग कर सकते हैं और परिषद् की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु सुझाव दे सकते हैं।

vii. अध्यक्ष परिषद् और कार्यकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

viii. अध्यक्ष को देय वेतनमान एवं भत्ते विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतनमान एवं भत्ते के समतुल्य होंगे। यदि वे सेवानिवृत्त व्यक्ति होंगे तो उनके वेतन से पेंशन की राशि घटा दी जाएगी।

7. <u>उपाध्यक्ष</u> :

i. उपाध्यक्ष श्रेष्ठ प्रमाणित उच्चमान अकादमिक प्रशासक होंगे। यदि उपाध्यक्ष गैर अकादमिक व्यक्ति हो, तो उन्हें उद्योग आदि क्षेत्र का पेशेवर होना चाहिए, जिन्हें अपने कार्यक्षेत्र का पर्याप्त अनुभव हो (निदेशक के पद से नीचे का न हो)।

ii. सरकार उपाध्यक्ष की नियुक्ति तलाश समिति (सर्च कमिटी) की अनुशंसा पर करेगी। यह कमिटी परिषद् के अध्यक्ष (बतौर अध्यक्ष) और दो अन्य सदस्यों के योग से गठित होगी, जिनमें से एक सदस्य परिषद् द्वारा मनोनीत होगा तो दूसरा सरकार के द्वारा।

iii. उपाध्यक्ष का एक कार्यकाल विस्तार–रहित पाँच वर्षों का होगा अथवा वे 70 वर्ष की आयु के हो जाएँ।

iv. उपाध्यक्ष को अध्यक्ष अथवा परिषद् की अनुशंसा के द्वारा हटाया/पदमुक्त किया जा सकेगा।

v. उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

vi. उपाध्यक्ष को देय वेतनमान एवं भत्ते विश्वविद्यालय प्रोफेसर के समतुल्य होंगे। यदि वे सेवानिवृत्त व्यक्ति होंगे तो उनके वेतन से पेंशन की राशि घटा दी जाएगी।

8. **कार्यपालक निदेशक :**

i. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक ही परिषद् के पदेन कार्यपालक निदेशक होंगे।

ii. कार्यपालक निदेशक परिषद् के सदस्य सचिव होंगे और परिषद् के कार्यों के संयोजन का दायित्व वहन करेंगे।

iii. कार्यपालक निदेशक उन कृत्यों को भी सम्पन्न करेंगे, जो समय–समय पर उन्हें आदेशित किये जाएंगे।

9. **परिषद् के पदाधिकारी :**

परिषद् के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे, यथा :–

i. अध्यक्ष

ii. उपाध्यक्ष

iii. कार्यपालक निदेशक (सदस्य सचिव)

iv. प्रशासनिक पदाधिकारी

v. वित्त पदाधिकारी

10. **प्रशासनिक पदाधिकारी :**

i. प्रशासनिक पदाधिकारी परिषद् के पूर्णकालिक पदाधिकारी होंगे और ये विश्वविद्यालय से प्रतिनियुक्त व्यक्ति होंगे।

ii. प्रशासनिक पदाधिकारी किसी महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग में कम से कम 15 वर्षों के शिक्षण अनुभव रखनेवाले होंगे तथा उन्हें विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों का पाँच वर्षों का अनुभव भी होना चाहिए।

iii. प्रशासनिक पदाधिकारी परिषद् द्वारा नियुक्त किये जाएंगे।

iv. प्रशासनिक पदाधिकारी सामान्य प्रशासन के प्रभारी होंगे और अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त शक्तियों व दायित्वों का निष्पादन करेंगे।

v. प्रशासनिक पदाधिकारी अपने पैतृक विश्वविद्यालय से प्राप्त होनेवाले वेतन तथा भत्तों के अलावा प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्ति के हकदार होंगे।

11. **वित्त पदाधिकारी :**

i. वित्त पदाधिकारी परिषद् के पूर्णकालिक अधिकारी होंगे।

ii. वित्त पदाधिकारी के लिए कम से कम 15 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव रखना होगा तथा उनके लिए वित्तीय प्रशासन, लेखा, अंकेक्षण और बजटीय प्रक्रिया की बेहतर जानकारी अपेक्षित होगी।

iii. वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति परिषद् द्वारा की जाएगी।

iv. वित्त पदाधिकारी लेखा विभाग के प्रभारी तथा परिषद् के लेखा जोखा में निपुणता हेतु उत्तरदायी होंगे और वे अध्यक्ष द्वारा निर्धारित व प्रदत्त शक्तियों तथा दायित्वों निष्पादन करेंगे।

v. वित्त पदाधिकारी अपने पैतृक विश्वविद्यालय से प्राप्त होनेवाले वेतन तथा भत्तों के अलावा प्रतिनियुक्ति भत्ता पाने के हकदार होंगे।

12. **राज्य परियोजना निदेशालय :**

राज्य सरकार के द्वारा राज्य परियोजना निदेशालय का गठन किया जायेगा :

i. गठन : राज्य परियोजना निदेशालय में एक राज्य परियोजना निदेशक होंगे तथा जैसा उपयुक्त हो, आवश्यकतानुसार सहायक कर्मियों के संयोग से निदेशालय के प्रभावी संचालन हेतु राज्य परियोजना निदेशालय का गठन किया जाएगा।

ii. कार्य : राज्य परियोजना निदेशालय निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगा :–

- राज्य स्तरीय परियोजना के क्रियान्वयन का निरीक्षण।
- सांख्यिकी आंकड़ों तथा प्रबंधन सूचना तंत्र के प्रतिवेदन की देखरेख।
- आवश्यकतानुसार परियोजना अंकेक्षकों की सेवा लेना।

13. **तकनीकी सहायता समूह :**

i. राज्य उच्च शिक्षा परिषद् विशेषज्ञों से युक्त एक तकनीकी सहायता समूह की नियुक्ति कर सकेगी।

ii. तकनीकी सहायता समूह के संघटन के निर्णय परिषद् द्वारा किया जाएगा।

iii. तकनीकी सहायता समूह के कार्य होंगे :–

a) सूचना तथा कोष के प्रवाह की देखरेख,

b) सामान्य प्रबंधन सूचना तंत्र की रिपोर्ट आवश्यकतानुसार तैयार करना

c) परिषद् को संचालन हेतु सहायता प्रदान करना।

14. <u>मनोनीत सदस्यों के लिए शर्तें व बंधेज</u> :–

i. मनोनीत व सामंजित सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः छह वर्षों का होगा, परंतु इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् आयु के आधार पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे, और रिक्त पदों पर भर्ती कुलाधिपति द्वारा की जाएगी अगर निवृत्त होने वाले सदस्य कुलाधिपति द्वारा मनोनीत हैं, और अगर सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य निवृत्त हो रहे हैं तो सरकार सदस्यों की नियुक्ति करेगी और यदि परिषद् द्वारा सहयोजित सदस्य निवृत्त होंगे तो परिषद् उनकी जगह पर नये सदस्यों का सहयोजन करेगी।

ii. किसी भी अवस्था में परिषद् के बीस सदस्य राज्य के होंगे तथा अन्य पाँच व्यक्ति राष्ट्रीय ख्याति के होंगे (राज्य के बाहर के)।

iii. मनोनीत और सहयोजित सदस्य लिखित रूप में परिषद् के अध्यक्ष को अपनी सदस्यता से त्याग–पत्र दे सकते हैं पर उनकी सदस्यता तब तक बनी रहेगी जब तक कि उनका इस्तीफा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप से स्वीकृत नहीं किया जाता है।

iv. मनोनीत तथा सहयोजित सदस्य निर्धारित दर पर यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और बैठक शुल्क के हकदार होंगे।

v. इस सेवा के अन्य शर्त एवं बंधेज इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होंगे।

15. <u>अयोग्यता</u> :

i. कोई भी व्यक्ति मनोनयन के योग्य नहीं होंगे अथवा परिषद् की सदस्यता बनाये नहीं रख सकेंगे, यदि उस समय वे –

(a) मानसिक रूप से अस्वस्थ हों ;

(b) ऋण न चुकाने की वजह से सजायाफ्ता हों ;

(c) किसी फौजदारी अदालत द्वारा किसी अपराध के लिए सश्रम कारावास की सजा पा चुके हों, इसके साथ ही नैतिक चरित्रहीनता के दोषी पाये गये हों ;

(d) प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं या उनके सहयोगी की परिषद् के किसी काम में हिस्सेदारी अथवा स्वार्थ निहित हो अथवा परिषद् की ओर से जारी किसी संविदा में उनकी संलिप्तता पायी जाय ;

(e) कोई व्यक्ति किसी भी सरकारी और विश्वविद्यालय की सेवा से दुर्व्यवहार अथवा लापरवाही की वजह से हटाया गया हो ;

ii. किसी भी विवाद या संदेह की अवस्था में कि कोई व्यक्ति उप अनुच्छेद (प) के अधीन अयोग्य है तो उस मामले में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

iii. इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का स्नातक न हो, परिषद् की सदस्यता के लिए इस अधिनियम के अधीन मनोनयन का पात्र नहीं होगा।

16. **परिषद् की बैठक** :

i. परिषद् की बैठक नियमावली में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप निर्दिष्ट समय एवं स्थान पर होगी, किन्तु तीन महीने में एक बैठक अवश्य होगी।

ii. परिषद् को समुचित निर्णय लेने का अधिकार होगा अगर परिषद् की बैठक में किसी सदस्य की रिक्तता का विरोध करना पड़े अथवा गठन में किसी प्रकार की त्रुटि हो और यह जानते हुए भी परिषद् की कार्यवाही वैद्य होगी कि परिषद् की कार्यवाही में कोई व्यक्ति, जो सदस्य होने का अधिकारी न हो और वह बैठक में शामिल हो चुका हो या परिषद् की कार्यवाही में भाग ले चुका हो।

iii. परिषद् की बैठक का संयोजन अध्यक्ष के परामर्श से कार्यकारी निदेशक द्वारा किया जाएगा।

iii. परिषद् की बैठक का कोरम इसके कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई होगा और उपस्थित सदस्यों के मतदान और सामान्य बहुमत से निर्णय लिये जा सकेंगे।

17. **परिषद् के कर्मी** :

परिषद् आवश्यकतानुसार कर्मियों की नियुक्ति करेगा जिससे कि उसके कार्यों का संचालन सुचारू ढंग से हो सके। परिषद् के कर्मियों की सेवा शर्त एवं बंधेज विनियमों के तहत निर्धारित होंगे।

18. **परिषद् की निधि** :

i. परिषद् की निधि में वो सभी धनराशियाँ होंगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा प्रदत्त हों और अन्य प्राप्तियाँ जो केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकार, संस्थान या व्यक्ति द्वारा दी गयी हो।

ii. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सरकार परिषद् को उतनी धनराशि उपलब्ध कर सकती है जो इसके सफल संचालन और जिम्मेवारियों एवं कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए जरूरी हो।

iii. इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये गये सारे व्यय निधि की राशि से चुकाये जाएंगे और यदि कोई अतिरिक्त राशि व्यय के बाद बची हो तो वर्णित प्रावधानों के अनुसार उसे निवेशित किया जाएगा।

19. <u>वार्षिक लेखा और अंकेक्षण</u> :

i. परिषद् की लेखा विवरणी निर्धारित मानदण्डों व प्रावधानों के अनुरूप संचालित की जाएगी।

ii. परिषद् वार्षिक लेखा का विवरण निर्धारित स्वरूप और तरीके से नियमानुसार तैयार करेगी।

iii. परिषद् के लेखा का अंकेक्षण वर्ष में एक बार सरकार की ओर से नियुक्त अथवा प्रतिनियुक्त अंकेक्षक द्वारा कराया जाएगा।

iv. परिषद् के कार्यकारी निदेशक वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन मुद्रित रूप में तैयार करेंगे और उस प्रतिवेदन को परिषद् के समक्ष अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।

v. परिषद् अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शायी गयी किसी भी त्रुटि अथवा अनियमितता को दूर करने हेतु समुचित कार्यवाही करेगी।

vi. अंकेक्षक अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन को परिषद् की टिप्पणी के साथ सत्यापित करते हुए निर्धारित समयावधि में सरकार को अनुशंसित करेंगे।

20. <u>वार्षिक प्रतिवेदन</u> :

इस अधिनियम के अधीन परिषद् प्रतिवर्ष अपनी वर्ष भर की गतिविधियों का प्रतिवेदन तैयार करेगी तथा सरकार को यह प्रतिवेदन सौंपेगी।

21. <u>परिषद् के सदस्य व कर्मी सरकारी सेवक होंगे</u> :

परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी इस अधिनियम के द्वारा जारी किये गये किसी प्रावधान अथवा नियम अथवा विनियम या आदेश या निर्देश के अनुरूप कार्यरत होंगे, उनका निष्पादन करेंगे तो भारतीय दण्ड संहिता (केन्द्रीय अधिनियम 1860 का ग्स्ट) के अनुच्छेद 21 के आशयानुसार सरकारी सेवक समझे जाएंगे अथवा सरकारी सेवक समझे जाने के दावेदार होंगे।

22. **विनियम बनाने की शक्ति** :

परिषद् सरकार द्वारा अग्रिम अनुमोदन प्राप्त कर विनियम बना सकेगी किंतु इस अधिनियम के प्रावधानों और नियमों अथवा इसके उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से वह असंगत न हो।

23. **नियम बनाने की शक्ति** :

i. सरकार, अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के संपूर्ण अथवा किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियम बना सकेगी।

ii. इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए प्रत्येक नियम को यथाशीघ्र राज्य की विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जब सत्र का पूर्ण काल चौदह दिनों की कुल अवधि का हो जो कि एक सत्र अथवा दो लगातार सत्रों में हो, और अगर, इस सत्र की समाप्ति के पहले जिसमें इसे पेश किया जाता है या जो सत्र ठीक इसके बाद आता है, विधानसभा कानून में कोई संशोधन करती है या फैसला किया जाता है कि कानून नहीं बनना चाहिए तो वह (कानून) संशोधित रूप में ही प्रभावी होगा अन्यथा निष्प्रभावी होगा जैसा मामला हो, हालांकि इस तरह का कोई संशोधन या विलोपन कानून के तहत किये गये कार्य की वैधता के प्रति पूर्वाग्रह से रहित होगा।

24. **अड़चनों/बाधाओं को दूर करने की शक्ति** :

i. इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने में यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है तो सरकार आदेश के द्वारा स्थिति की आवश्यकतानुसार ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो, और अड़चन को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक प्रतीत होता हो।

ii. उप–अनुच्छेद (1) के अंतर्गत निर्गत किये गये प्रत्येक आदेश को इसे बन जाने के बाद यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

यह विधेयक झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् विधेयक, 2016 दिनांक 18 मार्च, 2016 को झारखण्ड विधान सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 18 मार्च, 2016 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)

अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 10—50—7—4—2016 ।